

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 02/2017 वादपत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट. 1955

1- श्री छोगालाल पिता रतना रावत निवासी खानपुरा तह. बड़ीसादड़ी

- वादी

|| बनाम ||

- 1- श्री भमरू पिता किशना रावत नि. लुहारीया तह. बड़ीसादड़ी
- 2- श्री नारायण पिता दौला रावत नि. लुहारीया तह. बड़ीसादड़ी
- 3- श्री मांगु पिता दौला रावत नि. लुहारीया तह. बड़ीसादड़ी
- 4- श्री शंकर पिता प्यारा रावत नि. लुहारीया तह. बड़ीसादड़ी
- 5- श्री नाना पिता प्यारा रावत नि. लुहारीया तह. बड़ीसादड़ी
- 6- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा सरोड पटवार हल्का खैरमालिया की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- श्री छोगालाल पिता रतना रावत निवासी खानपुरा सा. देह. खातेदार

आ. नं.	रकबा
250/1	1.08
1	1.08

2- श्री केशुराम माता छाणीबाई 90/4320 केसर पुत्र भोलीराम 48/4320 कालीबाई पुत्री सीताबाई 45/4320 जसराज माता सीताबाई 45/4320 नवलबाई पत्नी बाबरू 36/4320 नवलीबाई पत्नी प्रथा 80/4320 नानुराम पुत्र भूरा 80/4320 समस्त जाति रावत सा. लुहारीया प्यारीबाई पत्नी बाबू 3488/4320 रावत (मीणा) सा. खैरमालिया, भैरू माता सीताबाई 45/4320 राधीबाई माता सीताबाई 45/4320 लक्ष्मीबाई पुत्री भोलीराम 48/4320 शंकर पुत्र प्यारा 180/4320 शम्भू माता छाणी बाई 90/4320 जाति रावत सा. लुहारिया खातेदार

आ. नं.	रकबा
248	1.70
250 मी	1.54
2	3.24

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 05.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



बिन्दु बाला राजावत (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2021/133

दिनांक 05.8.21

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी